लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्र.विद्या/व्ही/नेत्रपरीक्षण/08/172 भोपाल, दिनॉक 5/3/2009

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण संभाग,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः शासकीय विद्यालयों के छात्रों के निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं शिक्षकों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।

संदर्भः संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग इंदौर का पत्र क्र. 322, दिनॉक 20/02/09।

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के संलग्न चोइथराम नेत्रालय, इंदौर द्वारा स्कूल बच्चों के लिये प्रस्तावित निःशुल्क नेत्र परीक्षण, निदान तथा शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव को सैद्धातिकं सहमति प्रदान की जाती है। योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु श्री एस.बी.सिंह, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, इंदौर को नोडल अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाता है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, इंदौर का दूरभाष क्र.0731–2535328 तथा मो.नं. 9425905348 है।

2. प्रस्ताव अनुसार चोईथराम नेत्रालय,इन्दौर में प्रति रविवार 11:00 से 03:00 बजे तक हायर सेकेण्डरी के शिक्षकों/व्याख्याताओं को परिशिष्ट–एक अनुसार संभाग/जिलावार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रशिक्षण नेत्रालय के नेत्र विशेषज्ञों द्वारा दिया जायेगा। इसमें सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को परीक्षण किट निःशुल्क प्राप्त होगा।

3. संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न परिशिष्ट–एक अनुसार संभाग/जिलों के शिक्षक/व्याख्याता निर्धारित संख्या में इन्दौर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें ताकि स्कूलों में नेत्र परीक्षण की कार्ययोजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके।

4. जीव विज्ञान/विज्ञान विषय के शिक्षकों/ व्याख्याताओं को ही प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया जाये।

5. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों का टी.ए./डी.ए. उनकी कार्यरत संस्थाओं की टी.ए../डी.ए. निधि से देय होगा, यदि इस मद में निधि न हो तो विद्यालय की रेडक्रास निधि का उपयोग किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षको को नाश्ता, भोजन एवं गंगवाल बस स्टेंड, इन्दौर से नेत्रालय तक ले जाने की व्यवस्था चोइथराम नेत्रालय द्वारा की जायेगी। इंदौर से बाहर के प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकतानुसार एक दिन रूकने की व्यवस्था

mmt

नियमानुसार शिक्षक सदन,शासकीय शारदा कन्या उ.मा.वि.बडे गणपती मन्दिर के पास इंदौर में रहेगी।

7. नेत्र परीक्षण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्र. विद्या/व्ही/98/09/153,दिनॉक 02/03/2009को जारी पत्र में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरांत शिक्षक अपने विद्यालय के छात्रों का संचालनालय के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार नेत्र परीक्षण करेंगे तथा सर्जरी की आवश्यकता वाले बच्चों को चोइथराम नेत्रालय को रेफर करेंगे। जहॉ पर छात्रों को निःशुल्क सर्जरी की जायेगी। साथ ही आवश्यकता वाले छात्रों को निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. चोईथराम नेत्रालय द्वारा प्रतिमाह 50 सर्जरी निःशुल्क की जायेगी। इस हेतु मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सर्जरी की आवश्यकता वाले छात्रों को भेजा जा सकेगा। भेजने के पूर्व संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इंदौर से सम्पर्क स्थापित कर तिथि व समय का निर्धारण कर लिया जाये, ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। सर्जरी वाले छात्रों एवं एक परिचायक के रहने एवं भोजन की व्यवस्था संबंधित नेत्रालय द्वारा की जायेगी। आवागमन हेतु शिक्षण संस्था की रेडक्रास निधि का उपयोग किया जा सकेगा

समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी उक्तानुसार शिक्षक प्रशिक्षण तथा निःशुल्क उपचार/सर्जरी की सुविधा का लाभ सुनिश्चित करें।

9. अन्य संभागों के संयुक्त संचालक भी अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित नेत्रालय से सम्पर्क कर वहॉ से प्रशिक्षण तथा निःशुल्क निदान हेतु सहमति प्राप्त कर संचालनालय को विचारार्थ प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

mmt

परिशिष्ट–एक

स. क्र	जिलें	तिथि
1	इन्दौर एवं सभी जिलों के रेडक्रास प्रभारी	22 मार्च 2009
2	देवास,खरगोन, बड़वानी,झाबुआ	29 मार्च 2009
3	खण्डवा,बुरहानपुर,उज्जैन,धार	05 अप्रेल 2009
4	रतलाम,श्योपुर,मंदसौर	12 अप्रेल 2009
5	शाजापुर,रायसेन,सीधी	19 अप्रेल 2009
6	सीहोर, विदिशा, अनूपपुर	26 अप्रेल 2009
7	भोपाल, राजगढ़, उमरिया	03 मई 2009
8	गुना, रीवा, शहडोल	10 मई 2009
9	ग्वालियर, डिण्डोरी,सतना,शिवपुरी	11 मई 2009
10	भिण्ड, टीकमगढ़, बालाघाट,दतिया	17 मई 2009
11	मुरैना, होशंगाबाद, मण्डला,अशोकनगर	24 मई 2009
12	सागर, हरदा, सिवनी	07 जून 2009
13	दमोह, बैतूल, छिन्दवाड़ा	14 जून 2009
14	पन्ना, जबलपुर,नीमच	21 जून 2009
15	छतरपुर,कटनी, नरसिंहपुर	28 जून 2009

mmt